बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

का०आ० संख्याः– 2/अ0प्र0–4–50/2015 573 /पटना, दिनांक :– 9.10.25

सी0ए0जी0 की कंडिका 5.3.2 (2011–12) ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल सीतामढ़ी, बेनीपट्टी, मुजफ्फरपुर पूर्वी–1, रोसड़ा एवं समस्तीपुर में पी0एम0जी0एस0वाई0 अंतर्गत Mobilization एवं Equipment अग्रिम को अनियमित रूप से संबंधित संवेदकों को भुगतान करने के मामले में लोक लेखा समिति की अनुशंसा के आलोक में संबंधित अभियंताओं के विरूद्ध कार्रवाई प्रारंभ की गई। उसी क्रम में मामले में आरोपित श्री राम किशोर सिंह, तदेन लेखा लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रोसड़ा सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक 42 दिनांक 04.11.2018 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई।

2. उपर्युक्त के प्रसंग में श्री सिंह द्वारा अपना स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित नहीं किया गया। अतएव मामले के समीक्षोपरान्त उपर्युक्त आरोपों पर श्री सिंह के विरूद्ध अद्यतन प्रपत्र में आरोप पत्र गठित कर बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत आदेश संख्या–1206 दिनांक 13.07.2022 द्वारा मुख्य अभियंता–3, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

3. तत्कालीन मुख्य अभियंता–3 सम्प्रति मुख्य अभियंता–5–सह–संचालन पदाधिकारी द्वारा पत्रांक 1706 दिनांक 07.06.2025 के माध्यम से विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। जॉच प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी द्वारा अंकित निष्कर्ष निम्नवत् है–

> *"आरोपित कर्मी के विरूद्ध आरोप सं0–01 प्रमाणित नहीं होता है। आरोप सं0–2 के संबंध में आरोपित कर्मी को विभाग द्वारा भेजा गया पत्र उनके वर्तमान पदस्थापन पर नहीं भेजे जाने के कारण उन्हें प्राप्त नहीं हो सका, जिस कारण उनके द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया। कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल रोसड़ा से वस्तुस्थिति प्राप्त किये जाने के उपरांत ही आरोप को प्रमाणित या अप्रमाणित होने का मंतव्य दिया जा सकता है।*
>
> *उक्त के अतिरिक्त मामले में गठित आरोप पत्र विभागीय कार्यवाही का आदेश एवं संलग्न साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आरोपित कर्मी पर लगाया गया आरोप वर्ष 2010–11 है। आरोपित के विरूद्ध दिनांक 08.07.2022 को आरोप पत्र का गठन किया गया एवं दिनांक 13.07.2022 को विभागीय कार्यवाही का आदेश निर्गत किया गया है। आरोपित कर्मी के सेवानिवृति की तिथि 31.01.2018 है। घटना की तिथि एवं विभागीय कार्यवाही संस्थित करने की तिथि के मध्य चार वर्ष से अधिक अवधि होने के कारण आरोपित सेवानिवृत कर्मी के विरूद्ध यह मामला बिहार पेंशन नियमावली 43 (बी) के तहत कालबाधित की श्रेणी के अंतर्गत आता है।"*

4. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री सिंह के विरूद्ध प्रस्तुत मामला बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) के तहत कालबाधित है। अतएव संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री सिंह को प्रश्नगत आरोप से मुक्त करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया है।

5. अतः श्री राम किशोर सिंह, तदेन लेखा लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रोसड़ा सम्प्रति सेवानिवृत को प्रश्नगत मामले में आरोप मुक्त करते हुए उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

Kumar
09/10/25
(संजय कुमार)
अवर सचिव

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–4–50/2015 10702 /पटना, दिनांकः– 9.10.25

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/कोषागार पदाधिकारी, समस्तीपुर/कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Kumar
09/10/25
अवर सचिव

ज्ञापांकः– 2/अ0प्र0–4–50/2015 10702 /पटना/दिनांकः– 9.10.25

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, जल संसाधन विभाग, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रोसड़ा/कटिहार/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–8, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Kumar
09/10/25
अवर सचिव

ज्ञापांकः– 2/अ0प्र0–4–50/2015 10702 /पटना/दिनांकः– 9.10.25

प्रतिलिपिः– श्री राम किशोर सिंह, तदेन लेखा लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रोसड़ा सम्प्रति सेवानिवृत पत्राचार का पता :– विश्वनाथ नगर, रोड नं0–05, वार्ड नं0–23, जिला–बेगूसराय, पिन कोड–851101 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Kumar
09/10/25
अवर सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–4–50/2015 10702 /पटना/दिनांकः– 9.10.25

प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Kumar
09/10/25
अवर सचिव

(P.N) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@nic.in